फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मन्दिर श्री गोविन्द देव जी बनाम भागीरथ वगैरा

–वाद

मुकदमा नम्बर :– 210/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/8/25	प्र.क्र. 245 जवाब/बहस प्रा.पत्र हेतु न्यायहित में एक और अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/8/25 को पेश हो।
	27/8/25	वा.का. उप. जवाब प्रा.पत्र पेश किया। को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र हेतु दिनांक 10/9/25 को पेश हो।
	10/9/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/10/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर
	8/10/25	वा.का. उप. बहस प्रा.पत्र पर सुनी गई। बहस प्रा.पत्र मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। वादी का वाद कानूनी मापदण्डों के विपरीत होने एवं पोषणीय नहीं होने के कारण प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली पैमाना शुमार होकर इस नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी:–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

वाद संख्या :–210/2024

मन्दिर श्री गोविन्द देव जी बनाम भागीरथ वगै0

(वाद–पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांक:–08.10.2025

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ने वाद पत्र सन 1999 में स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था। उक्त वादपत्र वादी की साक्ष्य हेत ुनियत है। उपरोक्त उनवानी वाद पत्र में विवादित भूमियां वादपत्र के मद संख्या 1 में अंकित करते हुए मात्र खसरा नम्बर 519 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि ही वादपत्र के मदो में विवादग्रस्त कहा गया है। वादपत्र में वर्णित भूमियां विवादग्रस्त के साबिक खसरा नम्बर 324 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा चाही व खसरा नम्बर 331 रकबाङ बिना गै.मु. चाह मय पुख्ता कुआ बना हुआ है, जिस भूमि सम्पूर्ण व चाह का 1/2 हिस्सा को महन्त राधाबल्भ शरण चैला महन्त श्री मनमोहनदास जी ठिकाना श्री गोविन्ददेवजी ग्राम सामोद द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र क्रेता भागीरथ पुत्र नारायण, जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ढाणी पटेलों की, ग्राम सामोद, तहसील आमेर हालचौमूँ, जिला जयपुर के हक में दिनांक 30.09.1967 को बैचान कर बैचान की सम्पूर्ण राशि 2500/– रू अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये नगद प्राप्त कर सब रजिस्ट्रार आमेर द्वारा अपनी सहमति से विक्रय पत्र करवाया गया था तथा कब्जा भी क्रेता को विक्रय पत्र के दिन ही सम्भलाया गया था तथा मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 31.03.1976 को खोला जा कर जमाबंदी में अमल दरामद हो चुका था तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मौके पर काबिज काश्त होकर आराजी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। वादपत्र में विवादित खसरा नम्बर 519 में पुख्ता मकानात व बाडा रिहायशी हेतु बना रखा है। पशुओं को बाधने का बाडा बना रखा है एवं सिंचाई हेतु भूमि में अण्डरग्राउण्ड पाईपलाईन डाल रखी है तथा पानी होद बना रखा है व खेली बना रखी है तथा वर्तमान में फसल बाजरा, ग्वार आदि बो रखी है जो मौके पर खडी है व खेजडे, बबूल, बरबोड करून्दा, नींबू व आवंले के पेड लगा रखे है तथा आराजी में काफी पैसा खर्च कर समतल व काबिले काश्त व उपजाऊ बनाया है तथा हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी ने उक्त

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र बिना किसी प्रकार का वाद कारण उदित हुए पेश किया है लेकिन वादपत्र दिनांक 18.04.1999 का झूठा अंकित किया है। वाद कारण के अभाव में भी वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। एक अन्य वाद पत्र ठाकुर जी की अन्य आराजीयात के बारे में अदालत में चल रहा है जिसमें पुजारी अनिल कुमार को दर्शाया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि वादी किसी भी प्रकार का कोई पुजारी या महन्त मन्दिर गोविन्द देवजी का नही है जो वादपत्र मुकदमा संख्या 241/1996 है। वादी ने वादपत्र में सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाकर वादपत्र पेश किया है जो वाद पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। वादी का वादपत्र सरसरी रूप से ही खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 द्वारा उठायी गयी समस्त आपत्तियां पक्षकारों के साक्ष्य के पश्चात, साक्ष्य के आधार पर निर्णित होनी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की आपत्तियां तथ्य व विधि का मिश्रित प्रशन है, जिसका निस्तारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण में साक्ष्य वादी से बचने व प्रकरण में डिले कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मान्य न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी/वादी मन्दिर का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। विवादित भूमि में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की जाकर नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 31.03.1976 को खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो चुका है। विवादित भूमि में पुख्ता मकानात, सिंचाई के संसाधन आदि के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी के द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने एवं पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने एवं पोषणीय (Maintainable) नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार जाता है तथा वादीगण का वाद कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने एवं पोषणीय (Maintainable) नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0)चौमूँ, जयपुर

पिठासीन अधिकारी—: कनक जैन(R.A.S.)

वाद संख्या :— 210/2024

मन्दिर श्री गोविन्द देव जी बनाम भागीरथ वगै0

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट)

मुकदमा नं0:—210/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार जाता है तथा वादीगण का वाद कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने एवं पोषणीय (Maintainable) नहीं होने के कारण खारिज जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

सहायक कलक्टर (फास्ट

ओहदा........ चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner